26

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,

III/निग0/रीवा/भू21/2017/6207

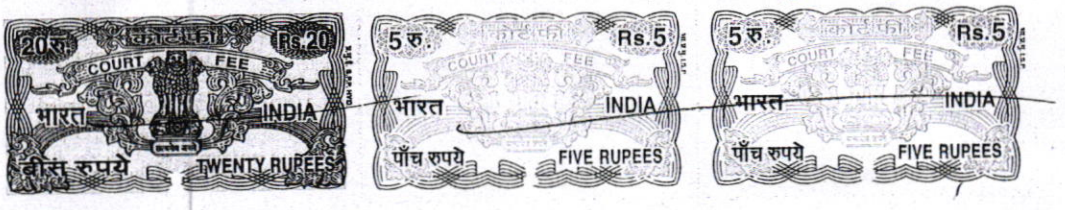

Rs 30/-

यादवेन्द्र सिंह पिता स्व0 शिवमूरत सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम मवई तहसील/थाना चुरहट जिला सीधी म0प्र0, ...**निगरानीकर्ता**

बनाम

1. चन्द्रवली सिंह (मृत) जरिये वारिसान श्रवण कुमार सिंह तनय श्री चन्द्रवती सिंह,
2. धीरेश सिंह तनय श्री साधूलाल सिंह,

दोनों निवासी ग्राम मवई तहसील/थाना चुरहट जिला सीधी म0प्र0,

..................**गैरनिगरानीकर्तागण**

अधि० श्री गंगा प्रसाद तिवारी, द्वारा पेश/ 18.12.17

आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी श्री डी0पी0 वर्मन के प्रकरण क्रमांक-463/निगरानी/2011-12 आदेश दिनांक-21.09.2011,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तगी के योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चुरहट द्वारा के समक्ष अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता द्वारा बन्दोवस्त में नक्शा में हुयी त्रुटि के सुधार के वावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक चुरहट से प्रतिवेदन मगाकर तुलनात्मक त्रुटि सुधार प्रस्ताव को आधार बनाकर निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में बिना सूचित किये व सुनवाई का वगैर अवसर दिये एकपक्षीय रूप से त्रुटिपूर्ण

यादवेन्द्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6207

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्र.क्र. 463/11–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–9–11 के विरूद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर जिला सीधी ने आदेश दिनांक 21–9–11 से आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के प्रकरण क्रमांक 5 अ 70/09–10 में पारित आदेश दिनांक 8–2–10 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किया है। निगरानी मेमो में आये तथ्यों के क्रम में प्रकरण के परीक्षण से स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिवम्बर 2011 में प्रकाशित सॅशोधन क्रमांक 42 सन 2011 से म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 में किये गये सॅशोधन अनुसार विचारण न्यायालय व्दारा पारित अंतरिम आदेशों के विरूद्ध कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, आयुक्त, अपर आयुक्त को निगरानी सुनने के अधिकार नहीं है। विचाराधीन निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी ने आदेश दिनांक 21–9–11 निरस्त की है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी चुरहट व्दारा प्रकरण क्रमांक 5 अ 70/09–10 में पारित आदेश दिनांक 8–2–10 का प्रश्न है आवेदक अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन सहित सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी करने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला सीधी के आदेश दिनांक 21–9–11 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से एंव निगरानी प्रचलन–योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	